



Coastal Aquaculture Authority

Annual Report 2008 - 2009



तटीय जलकृषि प्राधिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन 2008-2009

भारत सरकार कृषि मंत्रालय दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी चैन्नै – 600006, तमिलनाडु

दूरभाषा : 91-44-28213785, 28216552

फैक्स : 044-28216552

ई-मेल : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट : www.caa.gov.in

अध्यक्ष तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

संकलन एवं संपादन आर पाल राज जी डी चन्द्रपाल भास्करन मणिमारन मानस कुमार सिंह

द्वारा मुद्रित नागराज एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

Published by
Chairman
Coastal Aquaculture Authority

Compilation & Editing R. Paul Raj G. D. Chandrapal Baskaran Manimaran Manas Kumar Sinha

Printed by Nagaraj and Company Private Limited



विषय वस्तु

क्र.सं.			विषय	पृष्ठ संख्य
	प्राक्क	थन		
I.	प्राधिव	ज्या क	ा संगठन, परिचालन संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य	
	(i)	प्राधिक	रण का संगठन	1
	(ii)	प्राधिक	रण के लक्ष्य और उद्देश्य	5
	(iii)	प्राधिक	रण की शक्तियां और कार्य	5
II.	लक्ष्य	तथा क	गर्य निष्पादन	
	(i)	वार्षिक	लक्ष्य	6
	(ii)	वास्तवि	वेक कार्य निष्पादन का संक्षिप्त पुनरीक्षण	6
III.	(क) [']	क्रियाक	लाप और उपलब्धियां	
		(i)	प्राधिकरण और प्राधिकरण द्वारा संगठित समितियों की बैठकें	10
		(ii)	झींगा फार्मों का पंजीकरण	14
		(iii)	एसपीएफ एल. वेन्नामई के लिए दिशा–निर्देश	23
		(iv)	हैचरियों का पंजीकरण	23
		(v)	ब्रूडस्टाक का आयात, बीज उत्पादन और एसपीएफ एल. वेन्नामई का पालन	24
		(vi)	सीसीए द्वारा गठित उप-समितियां	25
		` ,	प्राधिकरण के लिए स्वीकृत कर्मचारियों की भर्ती	26
		(viii)	आऊटरीच क्रियाकलाप जहां सीएए के अधिकारी शामिल थे	26
		()	अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों में सीएए अधिकारियों की भागीदारी	27
		()	अधीनस्थ विधायी संबंधी संसदीय समिति का दौरा	28
		` /	एफवीओ मिशन का दौरा	28
		(xii)	वेबसाईट अद्यतन	28
	(ख)	२००९	१–१० के दौरान संभावित रूप से आरंभ किए जाने वाले क्रियाकलाप	29
IV.	वित्त			
	विगत	वित्तीय व	वर्ष के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश	31
V.	प्राधिव	करण के	कर्मचारी और मौजूदा संगठनात्मक संरचना	33
VI.	दिशा-	-निर्देशो	ं को तैयार करने में शामिल विशेषज्ञ	35

CONTENTS

SI. N	lo.	Particulars	Page
Prefa	ice		
I.	Compo	sition, Operational Goals and Objectives of the Authority	
	(i) C	Composition of the Authority	43
	(ii) A	ims & Objectives of the Authority	47
	(iii) P	owers and Functions of the Authority	47
II.	Targets	s and Performances	
	(i) A	nnual Targets	50
	(ii) B	Brief review of actual performance	50
III.	A. Ac	tivities & Achievements	
	(i)	Meetings of the Authority and Committees	
		constituted by the Authority	52
	(ii)	Registration of Shrimp Farms	56
	(iii)	,	65
	(iv)	Registration of Hatcheries	65
	(v)	Import of broodstock, seed production and culture of SPF <i>L. vannamei</i>	66
	(vi)	Sub-Committees set up by CAA	67
	(vii)	Recruitment of staff sanctioned for the Authority	68
	(viii)	Outreach Activities where CAA officers were involved	68
	(ix)	Participation of CAA officers in meetings organised by other organizations	69
	(x)	Visit of Parliamentary Committee on Subordinate Legislation	70
	(xi)	Visit of FVO Mission	70
	(xii)	Website updation	70
	B. Act	tivities likely to be taken up during 2009-10	71
IV.	Finance	e	
	Summa	ry of actual financial results during the previous financial year	73
٧.	Staff ar	nd existing organizational structure of the Authority	75
VI.	Experts	s associated with preparation of Guidelines	77

डॉ न्यायमूर्ति ए.के. राजन अध्यक्ष

Dr. Justice A.K. RAJAN

दूरभाष / Phone : (O) +91 44 2823 4672

(R) +91 44 2622 3322 फेक्स / Fax : +91 44 2821 6552 ई-मेइल / e-mail : aquaauth@vsnl.net वेब सैंट / website : http://www.caa.gov.in



तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार. कृषि मत्रालय शास्त्री भवन अनेक्स. दूसरी मंजिल. सं. 26, हडोस रोड़. चेन्नै-600 006, तमिलनाडु. भारत.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY Government of India, Ministry of Agriculture Shastri Bhavan Annexe, 2nd Floor,

No. 26. Haddows Road, Chennai - 600 006. Tamilnadu, INDIA.

प्राक्कथन

तटवर्ती जलकृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है जोकि रोजगार, गरीबी उन्मूलन, समुदाय विकास, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन में कमी तथा खाद्य सुरक्षा में अंशदान करती है। अब यह राष्ट्रीय कृषि विकास के लिए एक प्रमुख बलित क्षेत्र बन गया है। अभी हाल ही के वर्षों में झींगा पालन ने महत्वपूर्ण रूप से ध्यान आकर्षित किया है। भारत के पास तटवर्ती जलकृषि विकास के लिए 8,129 किलोमीटर की तटरेखा और 1.2 मिलीयन हैक्टेयर का क्षमतावान खाराजल जलक्षेत्र है जिसमें से झींगा पालन के लिए केवल 10% क्षेत्र का ही उपयोग किया जा रहा है।

पिछले दो दशकों में झींगा पालन में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। जलकृषि के जिरए झींगा पालन वर्ष 2007-08 में 1.06 लाख एम.टी. था जोिक पिछले वर्ष के 1.4 लाख एम.टी. की तुलना में कम है। चूंकि झींगा पालन में प्रौद्योगिकीय विकास बढ़ा है, इसलिए रोगों के नियंत्रण के संबंध में भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस समस्या से निपटने के लिए, भारत में अभी हाल में एसपीएफ (विशेष पैथोंजन मुक्त) लिटोपेनियस केन्नामई की शुरूआत की गई है। एल. केन्नामई की शुरूआत के कारण भारतीय झींगा पालन में झींगे के व्यवसाय और उत्पादन की ओर बदलाव की संभावना है। एल. केन्नामई के बीज उत्पादन और उसके पालन की अनुमित देने के लिए अत्यधिक ध्यान रखा जाता है तािक पर्यावरणीय सततता को सुनिश्चित किया जा सके, जोिक समय की मांग है। उस उद्देश्य के लिए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, प्राधिकरण के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, अन्य विभिन्न गतिविधियों जैसे कि अपंजीकृत फार्मों को बंद करने, जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने, हैचिरयों तथा फार्मों का निरीक्षण करने, एल. वेन्नामई के पालन के लिए अनुमित देने, पर्यावरण संरक्षण के लिए निगरानी करने तथा खाद्य सुरक्षा आदि गतिविधियों को अधिनियम, नियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार बढ़ाया गया है। एक वर्ष के भीतर 7,543 फार्मों को पंजीकृत किया गया है। आज की तारीख तक, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा कुल 11,837 झींगा फार्मों को पंजीकृत किया गया है और पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी किए गए थे। इसके अलावा, उपसमितियों का गठन किया गया था और प्रोबायोटिक्स एवं झींगा आहार के लिए मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से पणधारियों की बैठकें आयोजित की गई थीं।

इस वर्ष तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण ने बहुत सी समस्याओं के बावजूद, भारत में विनियमित झींगा पालन के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनी गतिविधियों के जिए लम्बी छलांग लगाई है। तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण आगामी वर्षों में ईमानदारी से आशा करता है कि वह अर्थ व्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी, विशेषकर निर्यात, रोजगार अवसरों, पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा।

(डा. न्यायमर्ति ए.के.राजन)



प्राधिकरण का संगठन, परिचालन लक्ष्य तथा उद्देश्य

(i) प्राधिकरण का संगठन

भारत सरकार ने 23 जून, 2005 को तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) बनाया तथा तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि से संबंधित कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1803(ई) के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) की स्थापना

की। सीएए का मुख्य कार्यालय चेन्नै, तमिलनाडु में स्थित है। सीएए में अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा नौ सदस्य हैं जोकि विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञ अथवा प्रतिनिधि हैं, जैसा कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट है। अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

प्राधिकरण में अप्रैल, 2008 से 21 दिसंबर, 2008 तक के दौरान निम्नलिखित सदस्य रहेः

1. न्यायमूर्ती डा. ए.के. राजन मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त/न्यायाधीश)

-- अध्यक्ष

2. डा. ए.जी. पोन्नय्या निदेशक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नै (तटीय जलकृषि के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

-- सदस्य

3. श्री पी. मदेश्वरन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

-- सदस्य

4. श्री ए. सेन्तिल वेल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

-- सदस्य

5. श्री तरुण श्रीधर, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि)

-- सदस्य

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

6.	श्री जी. मोहन कुमार, आई.ए.एस. अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि)	 सदस्य
7.	सुश्री लीना नायर, आई.ए.एस. सरकार की प्रधान सचिव पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तमिलनाडु सरकार (तमिलनाडु की प्रतिनिधि)	 सदस्य
8.	श्री एस. के. भट्टाचार्य, आई.ए.एस. निदेशक (मात्स्यिकी) पश्चिम बंगाल सरकार (पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि)	 सदस्य
9.	श्री डी. राधाकृण रेड्डी अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश राज्य प्रॉन किसान कल्याण संघ, आन्ध्र प्रदेश (आन्ध्र प्रदेश के प्रतिनिधि)	 सदस्य
10.	श्री अजित सिन्हा पाटील पंचम एक्वा फार्म, मुम्बई (महाराष्ट्र के प्रतिनिधि)	 सदस्य
11.	डा. पी. रविचन्द्रन प्रमुख वैज्ञानिक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान ने 30.4.2008 तक सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाला	
12.	डा. आर. पाल राज , (केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य) (1.5.2008 से)	 सदस्य सचिव



प्राधिकरण में 22 दिसंबर, 2008 से मार्च, 2009 तक के दौरान निम्नलिखित सदस्य रहे

1. न्यायमूर्ती डा. ए.के. राजन मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त/न्यायाधीश)

2. निदेशक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नै (डा. ए.जी. पोन्नय्या) (तटीय जलकृषि के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

3. श्री पी. मदेश्वरन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

- 4. पयावरण संरक्षण/प्रदूषण के क्षेत्र में विशेषज्ञ
- 5. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) (श्री तरुण श्रीधर, आई.ए.एस.) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि)
- अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (श्री जी. मोहन कुमार, आई.ए.एस.)
 (वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि)
- 7. प्रमुख सचिव
 (मात्स्यिकी और पशु संसाधन विभाग)
 उड़ीसा सरकार
 (श्रीमती मधुर सारंगी, आई.ए.एस.)
 (उड़ीसा की प्रतिनिधि)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

8. अपर मुख्य सचिव (जी ए डी और मात्स्यिकी)

(डा.पी. प्रभाकरण,आई.ए.एस.) केरल सरकार के प्रतिनिधि)

9. विकास आयुक्त, कृषि, मात्स्यिकी, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवा विभाग अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन श्री तपन मंडल, आई.ए.एस. (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रतिनिधि)

10. श्री पीताम्बर एम. टंडेल

कारवाड़, कर्नाटक (कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि)

11. डा. आर. पाल राज

(केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य) (1.5.2008 से)



(ii) प्राधिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य

प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तटवर्ती क्षेत्रों में तटीय जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करना है। प्राधिकरण को तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियम बनाने, फार्मों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए उनका निरीक्षण करने, जलकृषि फार्मों के पंजीकरण, उन तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाने अथवा नष्ट करने की शक्ति दी गई है जो प्रदूषण फैलाते हैं।

(iii) प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य

तटीय जलकृषि प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है और निम्नलिखित कार्यों को करता है:

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, अन्य कार्यों के साथ-साथ तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण तथा संचालन के लिए विनियम बनाता है; तटीय जलकृषि फार्मों में तटीय जलकृषि के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने के लिए निरीक्षण करता है; तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण करता है; प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी तटीय जलकृषि फार्म को उसके मालिक से बात करके उसे हटाने अथवा उसे नष्ट करने का आदेश करता है; किसी भी तटीय जलकृषि की भूमि, तालाब, बाड़े अथवा अहाते में प्रवेश करता है; वहां किसी भी प्रकार की जांच, सर्वेक्षण माप, मूल्यांकन अथवा पूछताछ करने के लिए; वहां स्थित किसी भी प्रकार के ढांचे को हटाने अथवा नष्ट करने के लिए; तथा यथानिधारित ऐसे अन्य कार्य या काम करने के लिए; तथा यथानिधारित अन्य कार्यकलापों का निष्पादन करता है।

तटीय क्षेत्रों में जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपने फार्म का सीएए में पंजीकरण कराएं। ऐसे पंजीकरण आगे और नवीनीकरण की सुविधा के साथ पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए किए जाते हैं। तटीय विनियम ज़ोन के भीतर हाई टाइड लाइन और खाड़ियों में, नदियों तथा पश्च जल से 200 मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमित नहीं है। तथािप, यह शर्त तटीय



जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के विधिकरण से पहले स्थापित मौजूदा फार्मों तथा सरकार द्वारा अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित गैर वाणिज्यिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। ऐसे पंजीकरण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा तटीय जलकृषि करने पर उसे कारावास का दंड जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या वोनों दंड भुगतने पड़ेंगे। सीएए की सहायता तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित मामलों में तटीय राज्यों में गठित राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है।

सीएए को यह भी करना होगा-

 यह सुनिश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि भूमि, लवण पटल जमीन, कच्छीय वन, नम जमीन, वन भूमि, गांव की आम प्रयोजन की भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों

- तथा मृग वनों को जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए;
- समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना तथा पारिस्थितिकी अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित नीति तैयार करने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह देना;
- सामान्य अवसंरचना लाइन, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकासी नहर एवं सार्वजनिक बहिस्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना;
- बीज, आहार, वृद्धि संवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रखरखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों/दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना;
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ों एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक – आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना;
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करना;



- तटीय संसाधनों की सतत उपयोगिता तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना;
- तकनीकी मैनुअल तैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियां, उप-समितियां, कार्य दल आदि गठित करना;
- तटीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निर्देश देना;
- सततता को सुनिश्चित करने के लिए; या पर्यावरणीय चिरस्थाईता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना;
- किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना देकर या पंजीकरण के प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों या उन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए पंजीकरण को रद्द करना;
- तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम बनाना; तथा वेतन, छुट्टी, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित करना;

समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन करने
 के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्य

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत जारी 15.10.2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को चूनिन्दा सप्लायरों से एसपीएफ एल. वेन्नमई के ब्रूड स्टॉक के आयात के लिए अनुमित देने के लिए प्राधिकृत किया है। नीलांकरई, चेन्नई में इस प्रयोजन के लिए एक जलीय संगरोध केन्द्र स्थापित किया गया है जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की धनराशि से राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र द्वारा संचालित किया जाता है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण के सदस्य सचिव को एसपीएफ एल. वेन्नमई के लिए चेन्नई में जलीय संगरोध सुविधा के कार्यकरण को देखने और उस पर निगरानी रखने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।



॥. लक्ष्य तथा कार्यनिष्पादन

(i) वार्षिक लक्ष्य

प्राधिकरण के वार्षिक लक्ष्य ठोस रूप से मात्रात्मक नहीं हैं, किन्तु प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होता है कि देश के सभी तटवर्ती जलकृषि फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत हैं और वे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियम, 2005 में निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों का पालन करें। अंतिम उद्देश्य यह है कि तटवर्ती जलकृषि को पर्यावरणीय रूप से सतत गतिविधि के रूप में विकसित किया जाए।

(ii) वास्तविक कार्यनिष्पादन का संक्षिप्त पुनरीक्षण

- वित्तीय वर्ष 2008 से मार्च 2009 तक प्राधिकरण ने 7,543 आवेदन पत्रों पर विचार करके उन्हें अनुमोदित किया और उन सभी को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए है।
- सभी तटीय राज्यों को अधिनियम, नियम तथा दिशानिर्देश वाली पुस्तिका परिचालित करने के अलावा, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कार्यकरण और फार्मों के पंजीकरण की आवश्यकता के बारे

में जागरूकता पैदा करने के लिए तटीय राज्यों को संवेदनशील बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में आंध्र प्रदेश, तिमलनाडु, केरल और पुदुचेरी की जिलास्तरीय सिमितियों के लिए चेन्नई में 10.9.2008 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी और पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया और तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट किया गया था।

- भभी जिला स्तरीय समितियों को निर्देश दिया गया था कि वे तटीय जलकृषि फार्मों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत करने की आवश्यकता और पंजीकरण न कराने के दुष्परिणामों के बारे में व्यापक प्रचार करें। अधिकांश जिला स्तरीय समितियों ने इन निर्देशों का पालन किया है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान फार्मों के पंजीकरण की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की गई।
- केन्द्रीय जलकृषि प्राधिकरण ने प्राधिकरण की एक विशेष बैठक बुला करके विदेशी झींगा अर्थात् लिटोपेनियस वेन्नमई लाने के लिए दिशानिर्देशों को अनुकूल रूप देने में सक्रिय



भूमिका निभाई। इस बैठक में इस प्रजाति के वाणिज्यिक पालन, विशेषकर जैव सुरक्षा पहलुओं में शामिल विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया गया। तैयार किए गए दिशानिर्देशों में शामिल हैं चेन्नई में संगरोध सुविधा की स्थापना, एसपीएफ एल. वेन्नमई ब्रूड स्टॉक सप्लायरों को सूचीबद्ध करना, अनुमोदित हैचरियों में एसपीएफ बीज का उत्पादन और पालन के लिए अनुमोदित फार्मों





को बीज की सप्लाई। एल. वेन्नामई के एसपीएफ ब्रूडस्टॉक की सप्लाई के लिए 6 सप्लायरों को सूचीबद्ध किया गया। एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन और ब्रूडस्टाक के आयात के लिए 9 हैचरियों को स्वीकृति दी गई थी।

 तटीय जलकृषि प्राधिकरण के विनियमों की अधिसूचना के बारे में कदम उठाए गए थे और तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लिए स्वीकृत स्टाफ की भर्ती की गई थी।



III. क. क्रियाकलाप और उपलब्धियां

(i) प्राधिकरण की बैठक और प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां

चालू वर्ष के दौरान यानि अप्रैल, 2008 – मार्च, 2009 तक, पांच अन्य बैठकों/कार्यशाला के अलावा, सीएए ने 6 नियमित बैठक आयोजित किए। आयोजित किए गए बैठक का विवरण और



इसमें लिए गए फैसलें संक्षिप्त में तालिका 1 में दिए गए हैं। पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रों को अनुमोदित करने के अलावा, प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण मसलों पर विचार विमर्श किया जैसे हैचरियों के पंजीकरण प्रक्रिया की



समीक्षा, ई यू मिशन की सिफारिशें, झींगा में एंटिबायोटिक अपशिष्ट, प्रोबायोटिक्स के लिए मानक तैयार करना, हाई टाइड लाइन (एचटीएल) और इंटर टाइडल क्षेत्रों से संबंधित मामले, फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्रित शुल्क की उपयोगिता का मानक, फार्म से निकाले गए अपशिष्ट पानी का मानिटरिंग, प्रोबायोटिक्स के लिए मानक निर्धारित करना, सीएए खाते में केन्द्र सरकार द्वारा सीधे धनराशि आबंटन और अधिनियम, नियमावली और दिशानिर्देशों में संशोधनों की आवश्यकता।



तालिका 1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठक (अप्रैल-2008 से मार्च-2009 तक)

बैठक	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
15वीं बैठक	29 मई, 2008 चेन्नई	 329 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया प्रोबायोटक्स और आहारों के मानक निर्धारित करने के लिए उप-समिति का गठन
16वीं बैठक	23 जुलाई,2008 चेन्नई	 74 झींगा हैचरियों के पंजीकरण की समीक्षा और अनुमोदन 668 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन एच टी एल और इंटर-टाईडल क्षेत्रों के मसलों को सुलझाने के लिए उप-समिति का गठन
17वीं बैठक	19 सितम्बर, 2008 चेन्नई	 375 झींगा फामों के पंजीकरण को अनुमोदन जलकृषि फार्म के पंजीकरण के लिए डीएलसी द्वारा एकत्रित पंजीकरण शुल्क को 70:30 के अनुपात में तटवर्ती राज्यों और सीएए द्वारा हिस्सा लेने के निर्णय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में तटीय जलकृषि प्राधिकरण के नाम पर एक बैंक खाता खोलने का निर्णय
18वीं बैठक 19वीं बैठक	18 नवम्बर, 2008 चेन्नई 12 दिसम्बर, 2008 नई दिल्ली	 388 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन वर्ष 2007-2008 के लिए सीएए के वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन 4674 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन सीएए अधिनियम और नियमावली को संशोधित करने के लिए प्रारंभिक विचार विमर्श किया गया। झींगा फार्मों का पंजीकरण, आहार मिल, आदान आपूर्ति इत्यादि का पंजीकरण कार्य सीएए को सौपने का निर्णय।
20वीं बैठक	20 मार्च,2009 चेन्नई	 1115 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन डीएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्रित शुल्क की उपयोगिता के लिए सीएए और डीएलसी/एसएलसी द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का अनुमोदन। एम्पेडा द्वारा झींगा हैचरियों के पंजीकरण के लिए मानकों की समीक्षा। हैचरियों के पंजीकरण के लिए एम्पेडा द्वारा निर्धारित समय सीमा को बनाए रखने का निर्णय।



तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा आयोजित अन्य बैठकें/सेमिनार (अप्रैल, 2008 - मार्च, 2009)

- मिल्टिप्लीकेशन सेंटर स्थापित करने के लिए मानक और लिटोपिनस वेन्नमई पालन के लिए उप-सिमित द्वारा कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए समुद्रतटीय राज्यों के सिचवों/प्राधिकरण और एनएफडीबी के प्रतिनिधियों, सदस्यों को आमंत्रित करते हुए 23 जून, 2008 को प्राधिकरण की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बताए गए मतों और सुझावों को दिशानिर्देशों में शामिल किया गया और
- संशोधित ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।
- आवेदन पत्रों का स्क्रीनिंग करने और तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियमावली के विभिन्न प्रावधानों की प्रक्रियाओं को समझाने/ स्पष्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के जिला स्तरीय समितियों के सदस्य संयोजकों के लिए 10.9.2008 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।





डीएलसी के लिए सीएए द्वारा आयोजित कार्यशाला





तटीय राज्यो के सचिवों (मात्स्यिकी) के साथ सीएए की विशेष बैठक



• सीएए द्वारा आयोजित अन्य बैठकों की सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	बैठक का नाम	तारीख	स्थान
1.	समुद्रतटीय राज्यों के मात्स्यिकी सचिवों की विशेष बैठक	23-06-2008	सीआईबीए
2.	सीएए अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन	10-09-2008	सीआईबीए
	पर डीएलसी के लिए संसिटाइजेशन कार्यशाला		
3.	एसपीएफ एल. वेन्नमई के पालन के लिए दिशानिर्देशों के	24-10-2008	सीएए
	क्रियान्वयन के लिए अलग उपायों पर विचार करने के		
	लिए उप समिति की बैठक		
4.	तटवर्ती जलकृषि के विनियमन के लिए दिशानिर्देशों	18-11-2008	सीएए
	को संशोधित करने के लिए उप समिति की बैठक		
5.	प्रोबायोटिक्स पर उप समिति की पहली बैठक	16-12-2008	सीएए
6.	एसपीएफ एल. वेन्नमई ब्रूडस्टॉक की	31-12-2008	सीएए
	आपूर्ति करने वालों को चुनने के लिए बैठक		
7.	तटवर्ती जलकृषि के विनियमन के लिए दिशानिर्देशों को	19-01-2009	सीएए
	संशोधित करने के लिए उप समिति की दूसरी बैठक		
8.	एसपीएफ एल. वेन्नमई ब्रूडस्टॉक आपूर्ति करनेवालों	18-02-2009	सीएए
	के साथ समिति की बैठक – प्रस्तुतिकरण		





(ii) झींगा फार्मों का पंजीकरण

- राज्य और जिला स्तरीय समितियों, जिन्हें इसी कार्य के लिए गठित किया गया है, उनकी सिफारिशों पर झींगा फार्मों का पंजीकरण कार्य सीएए द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है।
- सीएए के आरंभ होने से, प्राधिकरण ने हर दो महीनों में एक बार नियमित रूप से हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा सिफारिश की गई आवेदनों पर विचार किया और मार्च, 2009 तक झींगा पालन के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान कर 11837 प्रमाण पत्र जारी किए।
- वित्तीय वर्ष अप्रैल, २००८ से मार्च, २००५ के दौरान, प्राधिकरण ने ७५४३ आवेदनों पर विचार किया और अनुमोदन किया और उन सभी को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया।
- सभी 12 समुद्रतटीय राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाला चार्ट नीचे दिया गया है। सीएए ने झींगा फार्मों के पंजीकरण पर डाटाबेस को पूरा कर लिया है जो प्राधिकरण के अद्यतन वेबसाइट में उपलब्ध है। वेबसाइट को आवधिक आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।



सीएए द्वारा अप्रैल, 2008 – मार्च, 2009 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र का विवरण


	राज्य/संघ			कुल क्षेत्र (है	क्टेयर में)		
क्र. सं.	शासित प्रदेश का नाम	0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
1	प. बंगाल	445	93	0	0	0	538
2	उड़ीसा	190	68	8	0	0	266
3	आंध्र प्रदेश	5,527	420	38	11	6	6,002
4	तमिलनाडु	105	277	60	7	0	449
5	पुदुचेरी	1	1	0	0	0	02
6	केरल	79	18	0	0	0	97
7	कर्नाटक	63	11	0	1	0	75
8	गोवा	7	1	0	0	0	08
9	महाराष्ट्र	12	2	3	0	0	17
10	गुजरात	33	42	1	0	1	77
11	दमन एवं दीव	0	12	0	0	0	12
12	अंडमान	0	0	0	0	0	00
	कुल	6,462	945	110	19	07	7,543

 बैंक खाता खोलनाः सीएए के 17वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सदस्य सचिव, सीएए द्वारा प्रचालित किए जाने के लिए "तटीय जलकृषि प्राधिकरण" के नाम से इंडियन ओवरसीस बैंक, हडडोस रोड शाखा, चेन्नई में फरवरी, 2009 में एक बैंक खाता खोला गया। तटवर्ती राज्यों के सभी जिला स्तरीय समितियों को उनके संबंधित जिलों में "तटीय जलकृषि प्राधिकरण जिला स्तरीय समिति" के नाम से एक अलग खाता खोलने के लिए कहा गया और उन्हें एकत्रित पंजीकरण शुल्क का 30% सीएए को देने का निर्देश दिया गया।




सीएए के पास पंजीकृत झींगा फार्मों का ब्यौरा

सभी तटवर्ती राज्यों दिसम्बर 2005 - मार्च, 2009




क्षेत्र (हैक्टेयर में)	0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
फार्मों की संख्या	9888	1746	166	30	07	11837

अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक सभी तटवर्ती राज्यों के लिए




क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	6462	945	110	19	7	7543





पश्चिम बंगाल

क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	445	93	0	0	0	538




उड़ीसा

क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	190	68	8	0	0	266



आंध्र प्रदेश



क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	5527	420	38	11	6	6002

105


■ 0 - 2.00 ■ 2.01 - 5.00 □ 5.01 - 10.00 □ 10.01 - 40.00 ■ above 40.00

तमिलनाडु


क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	105	277	60	7	0	449



पुदुचेरी



क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	1	1	0	0	0	02




केरल


क्षेत्र (हैक्टेयर में)	0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
फार्मों की संख्या	79	18	0	0	0	97



कर्नाटक



क्षेत्र (हैक्टेयर में)	0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
फार्मों की संख्या	63	11	0	1	0	75




गोवा


क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	7	1	0	0	0	08



महाराष्ट्र




क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	12	2	3	0	0	17



गुजरात

क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	33	42	1	0	1	77

तटीय जलकृषि प्राधिकरण



■ 0 - 2.00 ■ 2.01 - 5.00 ■ 5.01 - 10.00 ■ 10.01 - 40.00 ■ above 40.00

12

दमन एवं दीव

क्षेत्र	0.00 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	40.00	कुल
(हैक्टेयर में)	2.00	5.00	10.00	40.00	से अधिक	
फार्मों की संख्या	0	12	0	0	0	12



(iii) एसपीएफ एल. वेन्नामई के लिए दिशानिर्देश

- सीएए एसपीएफ एल. वेन्नामई (ब्रूडस्टॉक की गुणवत्ता, आयात, बीज उत्पादन और पालन) के लिए दिशानिर्देश तैयार करने एनएफडीबी से वित्तीय सहायता के साथ नीलांकरई, चेन्नई में जलकृषि के लिए राजीव गांधीं केन्द्र में स्थापित जलीय संगरोध सुविधा को प्रचलित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ था।
- सीएए ने सीआईबीए, एनएफडीबी और एम्पेडा जैसे अन्य संबंधित संगठनों के साथ परामर्श में संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहन विचार विमर्श कर आनुवंशिक आधार पर रोग की स्थिति के आधार पर एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आपूर्तिकर्ता को चुनने का कार्य किया।
- पोस्ट लार्बी के उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ ब्रूडस्टाक एल वेन्नमई के आयात के लिए उपयुक्त हैचरियों को चुनने के लिए भी यही प्रक्रिया की गई थी।
- सीएए ने हैचरियों और फार्मों के लिए संपूर्ण प्रक्रियाओं को भी तैयार किया; आवेदन का फार्मेट भी तैयार किया गया और वेबसाइट में रखा गया। आवेदनों की गहन संवीक्षा के बाद, पशुपालन, डेयरी और

मत्स्यपालन विभाग द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा हैचरियों का निरीक्षण किया गया। अनुमोदन जारी करने से पहले फार्मा साइट, सुविधा इत्यादि का निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद फार्मों का चुनाव किया जाएगा।

(iv) हैचरियों का पंजीकरण

झींगा हैचरियों के पंजीकरण के लिए आवेदन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पेडा) में प्राप्त होते हैं और एम्पेडा द्वारा गठित हैचरी निरीक्षण समिति दारा हैचरियों का निरीक्षण और संवीक्षा करने के बाद एम्पेडा द्वारा अस्थायी पंजीकरण किया जाता है और हैचरियों की सूची तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को समीक्षा करने के लिए भेजी जाती है, जिन्हें अंतिम अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तृत किया जाता है। झींगा हैचरियों को पंजीकृत करने के लिए हैचरी मालिकों को जानकारी देने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया था। अब तक. एम्पेडा द्वारा 74 हैचरियों को अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया है। एम्पेडा द्वारा हैचरियों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को मूल रूप से संवीक्षा और समीक्षा के लिए सीएए को भेजा जाएगा। सभी हैचरियों के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एम्पेडा







सीएए द्वारा नियुक्त दल द्वारा निरीक्षण किए गए हैचरियां

द्वारा निर्धारित नई और पुनरुद्धार की गई हैचरियों के पंजीकरण के लिए समय सीमा को अलग रखा गया है।

- (v) ब्रूडस्टाक का आयात, बीज उत्पादन और एसपीएफ लिटोपीनस वेन्नमई पालन
 - कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देश
 के अनुसार, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण

- को एसपीएफ एल वेन्नमई ब्रूडस्टाक के आयात के लिए और बिक्री के लिए पोस्टलाभ उत्पादन के लिए हैचरियों के पंजीकरण का कार्य सौंपा गया था।
- तदुसार, सीएए ने एनएफडीबी, सीआईबीए और एम्पेडा से परामर्श के बाद विश्वव्यापी स्तर पर विज्ञापन के जिरए एसपीएफ एल. वेन्नामई के छः ब्रूडस्टाक आपूर्ति करने वालों की पहचान की, जिनसे हैचरी





मालिकों को ब्रडस्टाक के आयात के लिए अनुमति दी गई है।

- एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए हैचरी मालिकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में भी एक विज्ञापन जारी किया गया था।
- उनसे प्राप्त आवेदनों में से हैचरियों को चुनने और उनकी संवीक्षा करने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा एक तकनीकी मूल्यांकन समिति को स्थापित किया गया था। हमारे विज्ञापन के उत्तर में, 50 आवेदन प्राप्त हुए थे और संवीक्षा करने के बाद, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 45 हैचरियों का निरीक्षण समिति द्वारा 45 हैचरियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर, पहले चरण में (मार्च, 2009 तक) एसपीएफ एल वेन्नमई के बीज उत्पादन और ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए 9 हैचरियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(vi) सीएए द्वारा गठित उप-समिति

प्राधिकरण की बैठक में हुए निर्णयों/विचार-विमर्शों में से महत्वपूर्ण मुद्दों को क्रियान्वित



करने के लिए निम्नलिखित उप-समितियों का गठन किया गया थाः-

• सीएए के दिशानिर्देशों का संशोधन – तटवर्ती जलकृषि के लिए पहले से बनाए गए/बनाए जाने वाले दिशानिर्देशों यानि सीबास एंड मडक्रेब पालन के लिए दिशानिर्देश, कामन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट सिस्टम स्थापित करने के लिए निदेशानिर्देश, सर्विस प्रोवाईडर और इनपुट विनिर्माताओं के विनियमन के लिए दिशानिर्देश को अधिसूचित करने की प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए विचारार्थ विषयों के साथ उपयुक्त संशोधनों और परिवर्तनों के साथ दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए अक्तूबर, 2007 में सीएए द्वारा उप-समिति का पुनः गठन किया गया है।



- प्रोबायोटिक्स के लिए मानक निर्धारित करना – विभिन्न क्षेत्रों से सदस्यों को लेते हुए जलकृषि में प्रोबायोटिक्स के लिए मानक निर्धारित करने के लिए एक उप-समिति स्थापित की गई थी।
- एचटीएल और इंटरटाइडल क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को सुलझाना तटीय जलकृषि फार्मों के संबंध में एचटीएल और इंटर टाइडल क्षेत्रों के संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए अध्यक्ष के रूप में मात्स्यिकी आयुक्त, तिमलनाडु सरकार की अध्यक्षता में और सदस्यों के रूप में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के मात्स्यिकी आयुक्तों के साथ एक उप-समिति का गठन किया गया है।

(vii) प्राधिकरण के लिए स्वीकृत स्टाफ की भर्ती

 प्राधिकरण द्वारा तैयार विनियमों में कर्मचारियों के लिए भर्ती, अर्हताओं इत्यादि की प्रक्रिया दी गई है, सलाहकार/परामर्शदाता इत्यादि को मार्च, 2008 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया। तदुपरान्त, प्राधिकरण ने सभी खाली पदों को भरने

- के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी थी और अब तक 9 नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। अन्य पदों को भरने का कार्य प्रगति पर है।
- श्री जी. डी. चन्द्रपाल सीएए के भूतपूर्व निदेशक और उपायुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को 15 सितम्बर, 2008 से 6 महीनों की अविध के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।

(viii) आऊटरीच क्रियाकलाप जिसमें सीएए अधिकारी शामिल थेः

- सदस्य सचिव ने अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र के लिए माडल विधेयक, 2005 पर टिप्पणियां और सुधार के लिए सुझाव दिए।
- मंत्रालय के अनुदेशों पर सदस्य सचिव ने प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और वाईट टेल डिसीस के लिए ओआईई संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए जीव विज्ञान विभाग, सी. अब्दुल हकीम कॉलेज, मेलविश्वरम (वेल्लौर) का दौरा किया।



- प्रधिकरण के एक सदस्य से शिकायत
 प्राप्त होने पर सदस्य सचिव, सीएए के
 चार सदस्यों के एक दल ने आंध्र प्रदेश
 के नेल्लौर जिले के झींगा फार्मी और
 हैचरियों का निरीक्षण किया।
- सदस्य सचिव ने 22-29 नवंबर, 2008 के दौरान कोलकाता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और एशियन फिशरी सोसाईटी द्वारा आयोजित 8वें भारतीय मात्स्यिकी फोरम में भाग लिया।
- सीएए के अधिकारियों ने जम्प-स्टार्ट कार्यक्रमों से प्रयोगधर्मी पालन आपरेशनों के प्रारंभिक परिणाम के आकलन के बाद मोआना रोड शो में हिस्सा लिया।
- सीएए ने यूरोपीय संघ के खाद्य और पशुचिकित्सा कार्यालय (एफवीओ) मिशन की सिफारिशों, विशेषकर तटीय फार्मों के पंजीकरण के मामलों, एंटीबायोटिक अपशिष्टों आदि के परीक्षण की सैंपलिंग प्रक्रिया से जुड़े मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करने में निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की भी मदद की।

(ix) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों में सीएए अधिकारियों की भागीदारी

- सदस्य सचिव, सीएए ने 18.5.2008
 को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल एक्जाटिक्स समिति और 29.12.2008
 को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठकों में हिस्सा लिया।
- सीएए के सदस्य सचिव और सहायक निदेशक (तकनीकी) ने 22-24 जनवरी, 2009 तक भुवनेश्वर में एम्पीडा द्वारा आयोजित इन्डएम्बा 2009 में भाग लिया, और भारत में तटीय जलकृषि के लिए विनियामक ढांचा विषय पर अपनी प्रस्तुति दी।
- सीएए के अधिकारियों ने 16-17
 फरवरी 2009 को चेन्नई में जलकृषि
 व्यवसायी समिति, चेन्नई द्वारा आयोजित
 नई प्रौद्योगिकियों और पहलकदिमयों पर
 एम्बा इंडिया 2008 में हिस्सा लिया
 और सीएए के विनियमन संबंधी कार्यों
 को रेखांकित किया। तकनीकी सत्रों में
 से एक की अध्यक्षता सीएए के सदस्य
 सचिव ने की।



- सदस्य सचिव ने 4 सितंबर 2009 को मात्स्यिकी विभाग द्वारा आयोजित मात्स्यिकी पट्टा नीति पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ परामर्श सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और भारत में तटीय तथा आफशोर जलकृषि के लिए विनियामक ढांचा पर दस्तावेज प्रस्तुत किया और मछली पालन नीति संबंधी उपसमूह की अध्यक्षता की।
- सदस्य सचिव ने 12.1.2009 को नई दिल्ली में एफएओ की कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पांसिबल फिशरीज की राष्ट्रीय समिति की 6ठीं बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद, जिम्मेदारी पूर्ण जलकृषि पर कार्य योजना तैयार की गई और इसे मंत्रालय को भेज दिया गया।



(x) अधीनस्थ विधायन संबंधी संसदीय समिति का दौरा

अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति ने 2 जुलाई, 2008 को सीएए का दौरा किया। अध्यक्ष, सदस्य सचिव और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति से भेंट की और समिति को प्राधिकरण के नियमों, विनियमों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

(xi) एफवीओ मिशन का दौरा

सीएए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा खाद्य और पशुचिकित्सा कार्यालय (एफवीओ) के दौरे के संबंध में दिल्ली और कोची में आयोजित सभा पूर्व बैठकों में भी भाग लिया और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान की गई। सीएए ने एफवीओ मिशन के साथ ईआईसी द्वारा क्रमशः 17 और 28 सितंबर 2008 को आयोजित उद्घाटन और समापन बैठकों में भी हिस्सा लिया।

(xii) वेबसाईट का अद्यतन

सीएए अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञापन और जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों वाले वेबसाईट को नियमित रूप से अद्यतन करता रहा है।



ख. 2009-10 के दौरान संभावित रूप से आरंभ की जाने वाली गतिविधियां

- सीएए तटीय जलकृषि के पंजीकरण का अपना मुख्य कार्य करना जारी रखेगा और इस प्रक्रिया में यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ऐसा किसी भी जलकृषि फार्म, जो तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है या जो जिम्मेदार तटीय जलकृषि की संकल्पनाओं के विरुद्ध है, को देश के तटीय क्षेत्रों में स्थापित होने या अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा रही है। एल. वेन्नामई की एसपीएफ बीज का उत्पादन और सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के तदनुसार इसका पालन का ध्यान रखा जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सीएए द्वारा संभावित रूप से आरंभ की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार है:-
 - i) जलनिकायों के रखरखाव तथा उसमें पालने वाले जीवों तथा अन्य जलीय जीव के लिए तटीय जलकृषि आदानों यानि बीज,

- आहार, विकास अनुपूरक आहार और रसायन/दवाईयां।
- ii) तटीय जलकृषि से संबंधित मामलों से जुड़े आंकड़ों और अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं को एकत्र करना तथा उनका प्रचार-प्रसार करना।
- iii) परामर्शदाताओं को शामिल करके तटीय जलकृषि के सतत विकास का प्रचार-प्रसार करने तथा इससे जुड़ी गतिविधियों के तकनीकी मैनुअल, कोड और दृश्य-श्रव्य सामग्री तैयार करना।
- iv) तकनीकी दिशा-निर्देश, आचार संहिता आदि को तैयार करने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों/राज्य सरकारों के वैज्ञानिकों व अधिकारियों व सिविल सोसाईटी के प्रतिनिधियों को लेकर विभिन्न तकनीकी समितियों, उप-समितियों,



- फार्म समूहों, उप-समूहों का गठन करना।
- (v) पर्यावरणीय सततता को बनाए रखने के हित में और जीविकोपार्जन के संरक्षण या तटीय पर्यावरण के हित में आवश्यक समझ जाने वाले किसी अन्य कारणों से तटीय जलकृषि को बंद करने का आदेश देना।
- (vi) प्रौद्योगिकी, फार्मिंग क्रियाकलापों आदि में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर दिशा- निर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए सरकार को सिफारिश करना तथा पर्यावरणीय तथा तटीय समुदाय के लोगों के जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा- निर्देश के ऐसे आवश्यक संशोधनों को मिलाना।
- (vii) एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन एल. वेन्नामई का पालन करने वाले फार्मों में लगे हैचरियों के प्रचालन के लिए विशेष निगरानी कार्यक्रम।

- सीएए अगले मौसम के लिए ब्रूडस्टॉक को आयात करने के लिए चुनिंदा हैचरियों को अनुमित प्रदान करने के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई की ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से नई रुचि अभिव्यक्ति की मांग करेगा।
- जल की गुणवत्ता आदि की जांच व विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला संबंधी न्यूनतम सुविधाओं का निर्माण किया जाना है।
- सीएए अपना खुद का भवन बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा भूमि का आबंटन प्राप्त करने की संभावना का पता लगाएगा।
- पी मोनोडॉन के रोगमुक्त बीज के उत्पादन के लिए मोआना प्रौद्योगिकी के साथ मल्टीकेशन सेंटर के कार्य की स्थापना और फ्री ट्रायल आदि के लिए जमा स्टार्ट कार्यक्रम की नजदीकी निगरानी रखी जाएगी। सीएए मल्टीप्लीकेशन सेंटर में उत्पादित बीज का बिक्री मूल्य तय करने में भी भूमिका अदा करेगा।



IV. वित्त

विगत वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों व गतिविधियों का सारांश

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लिए बजट पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाता है और प्राधिकरण अब तक इस प्रयोजन के लिए कोई अलग लेखा रख या चला नहीं रहा है। लेखों का रख-रखाव वेतन और लेखा कार्यालय, कृषि और सहकारिता विभाग, चेन्नई के द्वारा किया जा रहा है और उन्हें कृषि मंत्रालय के वार्षिक लेखों के साथ समाविष्ट किया जाता है। तथापि, सीएए ने मंत्रालय को प्राधिकरण की निधि को सीधे सीएए अधिनियम, 2005 में दर्शाए गए सीएए के बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध किया है। इस मामले को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रसंस्कृत किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान (अप्रैल, 2008 से मार्च 2009), सीएए ने 91,68,358/- रुपए की राशि (इक्यानवे लाख अटसठ हजार तीन सौ अट्ठावन मात्र) खर्च किए। ब्यौरे को व्यय के विभिन्न उपशीर्षों के तहत नीचे दर्शाया गया है:-

क्र.सं	योजना का नाम	उप–शीर्ष	वर्ष 2008-09 के लिए व्यय
	मूख्य शीर्ष 2405		(रुपए में)
1.0		वेतन	40,36,751
2.0	तटीय	स्वास्थ्य संबंधी व्यय	3,833
3.0	जलकृषि	घरेलू यात्रा व्यय	11,99,433
4.0	प्राधिकरण	कार्यालय व्यय	34,10,324
5.0		प्रकाशन	1,46,900
6.0		विज्ञापन और प्रचार-प्रसार	3,70,542
7.0		विदेश यात्रा व्यय	
		कुल	91,68,358

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 2,43,00,000/-रुपए (दो करोड़ तैतालीस लाख मात्र) की राशि मंजूर

की गई और विभिन्न उप-शीर्षों के तहत ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं	योजना का नाम	उप–शीर्ष	ब.प्रा. 2009-10
	मूख्य शीर्ष 2405		(रुपए में)
1.		वेतन	1,51,00,000
2.		स्वास्थ्य संबंधी व्यय	2,00,000
3.	तटीय	घरेलू यात्रा व्यय	18,00,000
4.	जलकृषि	कार्यालय व्यय	54,00,000
5.	प्राधिकरण	प्रकाशन	5,00,000
6.		विज्ञापन और प्रचार–प्रसार	8,00,000
7.		विदेश यात्रा व्यय	5,00,000
		कुल	2,43,00,000



V. प्राधिकरण के कर्मचारी व मौजूदा संगठनात्मक संरचना

कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से विगत जलकृषि प्राधिकरण के लिए 21 पद सृजित किए थे। इतने ही पदों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण में जारी रखा गया है, जिसे दिनांक 22.12.2005 की अधिसूचना के तहत अगले आदेश तक इन्हीं शर्तों और नियमों के तहत स्थापित किया गया था। प्राधिकरण के कर्मियों के लिए भर्ती, योग्यताएं आदि की प्रक्रिया, सलाहकारों/परामर्शदाताओं आदि की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रदान करता है, को अंतिम रूप दे दिया गया था और उन्हें मार्च, 2008 में ही

अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात, प्राधिकरण ने सभी रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की और अब तक नौ नियमित कर्मचारियों और मानवशक्ति एजेंसी के माध्यम से ठेके के आधार पर एक तकनीकी और दो लिपिक और दो सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। अन्य पदों के लिए चयन का कार्य 2009 तक पूरा हो जाने की आशा है। 31 मार्च, 2009 को प्राधिकरण में स्वीकृत पद और तैनात कर्मचारियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लिए स्वीकृत पद

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान (संशोधित)	पदों की संख्या
1.0	निदेशक (तकनीकी)	37400-67000 + 8700 (ग्रेड पे)	1
2.0	सहायक निदेशक (तकनीकी)	15600-39100 + 5400 (ग्रेड पे)	1
3.0	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	15600-39100 + 5400 (ग्रेड पे)	1
4.0	अधीक्षक	9300-34800 + 4200 (ग्रेड पे)	1
5.0	निजी सचिव	9300-34800 + 4200 (ग्रेड पे)	2
6.0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	9300-34800 + 4200 (ग्रेड पे)	2
7.0	लेखाकार	9300-34800 + 4200 (ग्रेड पे)	1
8.0	आशुलिपिक श्रेणी ग	9300-34800 + 4200 (ग्रेड पे)	2
9.0	वरिष्ठ लिपिक	9300-34800 + 2400 (ग्रेड पे)	2
10.0	आशुलिपिक श्रेणी घ	5200-20200 + 2400 (ग्रेड पे)	1
11.0	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200 + 1900 (ग्रेड पे)	2
12.0	वाहन चालक	5200-20200 + 1900 (ग्रेड पे)	1
13.0	चपरासी	4440-7440 + 1300 (ग्रेड पे)	3
14.0	सुरक्षाकर्मी	4440-7440 + 1300 (ग्रेड पे)	1
	पदों की कुल संख्या		21

31 मार्च, 2009 को तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कर्मचारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.0	डॉ. भास्करन मणिमारन	
	(दिसम्बर, 2008 से प्रतिनियुक्ति पर)	निदेशक (तकनीकी)
2.0	डॉ. मानस कुमार सिन्हा	
	(दिसम्बर, 2008 से प्रतिनियुक्ति पर)	सहायक निदेशक (तकनीकी)
3.0	श्री अनिल कुमार	
	(दिसम्बर, 2008 से प्रतिनियुक्ति पर)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
4.0	श्री टी.सिवाकुमार	अधीक्षक
5.0	श्रीमती जी. दुर्गा	निजी सचिव
6.0	श्री पी.के.गणेशन	
	(दिसम्बर, 2008 से प्रतिनियुक्ति पर)	निजी सचिव
7.0	श्रीमती विजया चन्द्रशेखर	
	(दिसम्बर, 2008 से प्रतिनियुक्ति पर)	लेखाकार
8.0	श्री एन. श्रीनिवासन	
	(दिसम्बर, 2008 से प्रतिनियुक्ति पर)	आशुलिपिक श्रेणी ग
9.0	श्री टी. श्रीनिवासा राव	
	(दिसम्बर, 2008 से प्रतिनियुक्ति पर)	आशुलिपिक श्रेणी ग

सूचना का अधिकार अधिनियम

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के निदेशक (तकनीकी) किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम के को प्राधिकरण का केंद्रीय जन सूचना अधिकारी मनोनित तहत प्राप्त एक पत्र का उत्तर दे दिया गया था।



vı. दिशा निर्देश बनाने वाले विशेषज्ञ

_ :			
क्र.सं.		विशेषज्ञ का नाम और पदनाम	
1.	प्रोबायोटिक्स के लिए मानकों का निर्धारण	डॉ. आर. पाल राज सदस्य सचिव तटीय जलकृषि प्राधिकरण चेन्नई	
		डॉ. आई. एस. ब्राईट सिंह निदेशक एवं डीन स्कूल ऑफ एन्वायरनमेंटल साईंसेंस कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय थ्रिकक्कारा, कोचीन-682022	
		डॉ. एस. फेलिक्स प्रोफेसर, मात्स्यिकी यूनिट तमिलनाडु पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय माधवरम मिल्क कालोनी चेन्नई	
		डा. एस. वी. अलावंडी प्रधान वैज्ञानिक केन्द्रीय खाराजल जलकृषि (सीआईबीए) 75, सेंथॉम हाई रोड चेन्नई–600 029	
		श्री डी. रामराज अध्यक्ष जलकृषि व्यवसायी सोसायटी 2/542, प्रथम तल, प्रथम लेन संदीप रोड, नीलांगराई	
		चेन्नई-600 041	

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

क्र.सं.		विशेषज्ञ का नाम और पदनाम
		डॉ. एस. थियागराजन पोसीडॅन बायोटेक प्रथम व द्वितीय तल मोगापेयर पश्चिमी मेन रोड चेन्नई–600 037
2.	एचटीएल व इंटर-टाईड वाले क्षेत्रों से जुड़े मामलों को हल करने वाली उप-समिति	श्री शंभू कल्लोलिकर, आई.ए.एस मात्स्यिकी आयुक्त तमिलनाडु सरकार श्री ए. एम. सोलंकी, आई.ए.एस मात्स्यिकी आयुक्त गुजरात सरकार
		श्री अरविन्द कुमार, आई.ए.एस मात्स्यिकी आयुक्त आन्ध्र प्रदेश सरकार
		श्री एच. आर. पवार, आई.ए.एस मात्स्यिकी आयुक्त महाराष्ट्र सरकार
3.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 (आदेश सं. 56-1/2007- टेक दिनांक 20.10.2008) के तहत जारी दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने वाली उप-समिति का संशोधित संविधान	डॉ. आर. पाल राज सदस्य सचिव तटीय जलकृषि प्राधिकरण चेन्नई–600 006 डॉ. पी. रविचन्द्रन प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान सीआईबीए) 75, सेंथॉम हाई रोड चेन्नई–600 029

वार्षिक प्रतिवेदन 2008-2009



क्र.सं.	विशेषज्ञ का नाम और पदनाम
	डॉ. ए. आर. थिरूनावुक्कारासु प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) 75, सेंथॉम हाई रोड, चेन्नई-600 029
	डॉ. एस. एम. पिल्लई प्रधान वैज्ञानिक केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए), चेन्नई-600 028
	श्री बी. विष्णु भट निदेशक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) कोची–682 036
	श्री अजित सिन्हा पाटिल सदस्य, तटीय जलकृषि प्राधिकरण पंचम एक्वाकल्चर फॉर्म 103 बी, मित्तल टॉवर, नरीमन पाईंट मुंबई–400 021, महाराष्ट्र
	श्री के. ओमप्रकाश संयुक्त आयुक्त पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के प्रतिनिधि कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली
	श्री जी. डी. चन्द्रपॉल , सलाहकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण चेन्नई–600 006



COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Annual Report 2008 - 2009

Government of India

Ministry of Agriculture 2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe Chennai - 600 006, Tamil Nadu

Tel. No: 91-44-28213785, 28216552 Fax No: 044-28216552

E-mail: aquaauth@vsnl.net website: www.caa.gov.in

डॉ न्यायमूर्ति ए.के. राजन अध्यक्ष

Dr. Justice A.K. RAJAN

दूरभाष / Phone : (O) +91 44 2823 4672 (R) +91 44 2622 3322

फेक्स / Fax : +91 44 2821 6552 ई-मेडल / e-mail : aquaauth@vsnl.net वेब सैट / website : http://www.caa.gov.in



तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार. कृषि मत्रालय शास्त्री भवन अनेक्स. दूसरी मंजिल सं. 26, हडोस रोड़. चेन्नै-600006, तमिलनाडु. भारत.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY Government of India, Ministry of Agriculture Shastri Bhavan Annexe, 2nd Floor, No. 26, Haddows Road, Chennai - 600 006.

Tamilnadu, INDIA.

PREFACE

Coastal aquaculture is one of the important economic activities which contribute to employment, poverty alleviation, community development, reduction of over exploitation of natural resources and food security. Now it has become a major thrust area for National Agricultural Development. Shrimp culture is gaining considerable importance in recent years. India is blessed with 8,129 kms of coastline and 1.2 million ha. of potential brackish waters for coastal aquaculture development out of which only 10% of the area is now utilized for shrimp farming.

The last two decades have witnessed ups and downs in shrimp culture. Shrimp production through aquaculture in 2007-08 was 1.06 lakh MT which is lower than the previous year's production of 1.4 lakh MT. As the technological development in shrimp culture has advanced, the control of diseases also requires more attention. In order to overcome this problem, SPF (Specific Pathogen Free) *Litopenaeus vannamei* has been introduced recently in India. A paradigm shift in practice and production of shrimps in Indian shrimp farming is expected due to the introduction of *L. vannamei*. Utmost care is taken in granting permission for seed production and farming of *L. vannamei* so as to ensure sustainable environment, which is the need of the hour. All efforts are being taken by the Coastal Aquaculture Authority for that purpose.

Further to fulfill the mandate of the Authority, various other activities such as closure of unregistered farms, conduct of awareness programmes, inspection of hatcheries and farms, permission for culturing *L. vannamei*, monitoring for environment protection and food safety etc. are geared up in accordance with the Act, Rules and Guidelines. Within a year, more than 7,543 farms have been registered. Till date, a total number of 11,837 shrimp farms have been registered by the Coastal Aquaculture Authority and the Certificates of Registration were also issued. Apart from this, sub-committees were formed and stake holders' meetings were organized for the purpose of fixing standards for probiotics and shrimp feeds.

This year Coastal Aquaculture Authority has taken a leap through its activities to ensure steady growth of regulated shrimp farming in India, despite many problems. The Coastal Aquaculture Authority sincerely hope that its contribution to the economy, especially in the field of exports, employment opportunities, environment protection and food safety would be up to the expectations in the ensuing years.

(Dr. Justice A.K. Rajan)

1.12.2009



I. Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority

(i) Composition of the Authority

The Government of India enacted the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (Act 24 of 2005) on 23rd June 2005 and established the Coastal Aquaculture Authority (CAA) vide Notification No. S.O. 1803 (E) dated 22nd December 2005 for regulating the activities connected with aquaculture in coastal areas. The head office of the CAA is located at Chennai. Tamil

Nadu. The CAA consists of Chairman, Member Secretary and nine members who are experts representing various organizations and representatives of coastal States as specified in the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005. The Chairman, Member Secretary and the members are appointed by the Central Government for a period of three years.

The Authority consisted of the following members during **April 2008 to 21**st **December 2008**:

1. Dr Justice A K Rajan

Retired Judge, Madras High Court (Retired/sitting judge of High Court)

Chairperson

2. Dr A G Ponniah

Director, Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai (CIBA) (Expert in the field of coastal aquaculture) Member

3. Shri P Madeswaran

Ministry of Earth Sciences, Govt. of India (Expert in the field of coastal ecology)

Member

4. Dr A Senthil Vel

Ministry of Environment & Forests (Expert in the field of Environment Protection/Pollution)

Member

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

5. Shri Tarun Shridhar, IAS

Joint Secretary (Fisheries)
Department of Animal Husbandry
Dairying & Fisheries
(Representative of the Ministry of Agriculture
Govt. of India)

Member

6. Shri G Mohan Kumar, IAS

Chairman, The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) (Representative of the Ministry of Commerce Govt. of India) Member

7. Ms. Leena Nair, IAS

Principal Secretary to Government Dept. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Govt. of Tamil Nadu (Representative of Tamil Nadu) Member

8. Shri S K Bhattacharya, IAS

Director (Fisheries), Govt. of West Bengal (Representative of West Bengal)

Member

9. Shri D Radha Krishna Reddy

President, Andhra Pradesh State Prawn Farmers' Welfare Association, Andhra Pradesh (Representative of Andhra Pradesh) Member

10. Shri Ajit Sinha Patil

Pancham Aqua Farms, Mumbai (Representative of Maharashtra)

Member

11. Dr P Ravichandran

Principal Scientist, Central Institute of Brackishwater Aquaculture (held additional charge as Member Secretary, CAA upto 30.4.2008) **Member Secretary**



12. Dr R Paul Raj

Member Secretary

(Member appointed by the Central Government) (w.e.f. 1.5.2008)

The Authority consisted of the following members during 22nd December 2008 to March 2009:

1. Dr Justice A K Rajan

Chairperson

Retired Judge of the Madras High Court (Retired/Sitting judge of High Court)

2. Director, Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai

(Dr A G Ponniah)

(Expert in the field of coastal aquaculture)

3. Shri P Madeswaran

Member

Member

Ministry of Earth Sciences, Govt.of India (Expert in the field of coastal ecology)

4. Expert in the field of Environment Protection/Pollution

Member

5. Joint Secretary (Fisheries)

(Shri Tarun Shridhar, IAS)

Department of Animal Husbandry

Dairying & Fisheries

(Representative of the Ministry of Agriculture

Govt. of India)

Member

6. Chairman, The Marine Products Export Development Authority

(Shri G Mohan Kumar, IAS)

(Representative of the Ministry of Commerce

Govt. of India)

Member



COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

7. Principal Secretary (Dept. of Fisheries & Animal Resources Department)

Member

Govt. of Orissa (Ms. Madhur Sarangi, IAS) (Representative of Orissa)

8. Additional Chief Secretary (GAD & Fisheries)

(Dr P Prabakaran, IAS) Govt. of Kerala (Representative of Kerala) Member

9. Development Commissioner
Department of Agriculture
Fisheries, Animal Husbandry &
Veterinary Services

(Shri Tapan Mondal, IAS)
UT Administration of Andaman &
Nicobar Islands
(Representative of UT of Andaman &
Nicobar Islands)

Member

10. Shri Pitambar M Tandel

Karwar, Karnataka (Representative of Karnataka) Member

11. Dr R Paul Raj

(Member appointed by the Central Government)

Member Secretary



(ii) Aims & Objectives of the Authority

The main objective of the Authority is to regulate coastal aquaculture activities in the coastal areas notified by the Central Government in order to ensure sustainable development without causing damage to the coastal environment. The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms to ascertain their environmental impact, registration of aquaculture farms, removal or demolition of coastal aquaculture farms, which cause pollution etc.

(iii) Powers and Functions of the Authority

The CAA exercises the following powers and performs the following functions:

The CAA, shall inter alia make regulations for the construction and operation of aquaculture farms within the coastal areas; inspect coastal aquaculture farms with a view to ascertain the environmental impact caused by coastal aquaculture; register coastal aquaculture farms; order removal or demolition of any coastal aquaculture farm, which is causing pollution after hearing the

occupier of the farm; enter on any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure; to make any inspection, survey measurement, valuation or inquiry; to remove or demolish any structure therein; and to do such other acts or things as may be prescribed; and perform such other functions as may be prescribed.

All persons carrying on aquaculture in the coastal areas shall register their farm with the CAA. Such registration is made for a period of five (5) years with facility for further renewal. Aquaculture is not permitted within two hundred metres from the High Tide Line of the creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the existing farms set up before the enactment of the Coastal Aguaculture Authority Act, 2005 and the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by any research institute of the Government or by Government. Any person carrying on coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both. CAA is assisted by the State Level Committees and

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY



District Level Committees constituted in the coastal states in matters concerning registration of coastal aquaculture farms.

The CAA also has to

- ensure that the agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and the land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in costal areas;
- survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- advise and extend support to the State/UT Govts for constructing common infrastructure line, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals/ medicines used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;

- carryout or sponsor investigations and studies/ schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- constitute various technical committees, sub-committees, working groups, etc., for preparation of technical manuals etc;
- direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;



- cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- make suitable recommendations to the Government for amending the guidelines from time to time.

Additional Functions assigned by the Central Government

The Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Government of India, vide their Notification dated 15.10.2008, issued

under the Livestock Importation Act, 1898, has authorized CAA to grant permission for importing broodstock of SPF L. vannamei from selected suppliers. An aquatic quarantine unit has been set up for this purpose at Neelankarai, Chennai, which is operated by Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) with funds from National Fisheries Development Board (NFDB). Member Secretary. CAA has been made the Chairman of the Technical Committee constituted by Deptt of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, Govt. of India to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility for SPF L. vannamei at Chennai.



II. Targets and Performances

(i) Annual targets

The annual targets of the Coastal Aquaculture Authority are not strictly quantifiable. But the Authority has to ensure that all the coastal aquaculture farms in the country are registered with CAA and follow the provisions contained in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules, 2005 and the parameters laid down in the Guidelines. The ultimate objective is to develop coastal aquaculture as an environmentally sustainable activity.

(ii) Brief review of actual performance

- During the financial year April 2008 to March 2009, the Authority has considered and approved 7,543 applications and the registration certificates have been issued to all of them.
- Besides circulating the Compendium containing the Act, Rules and Guidelines to all the coastal States, concerted steps were taken to sensitize the coastal States to create awareness about the functioning of CAA and need for registration of farms. As a first

- step towards this direction, a workshop was organised on 10.9.2008 at Chennai for the District Level Committees (DLCs) of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry and the procedures for screening of applications for registration with various provisions of CAA Act were explained and clarified.
- wide publicity about the need for registration of coastal aquaculture farms with CAA and the consequences of non-registration. Most of the DLCs have complied with the directive and consequently substantial increase in the registration of farms was recorded during the year.
- CAA played an active role in finalizing the Guidelines for introduction of the exotic shrimp, viz., Litopenaeus vannamei by convening a special meeting of the Authority, which deliberated on the various issues involved in the commercial culture of this species, especially on the biosecurity aspects. Guidelines



formulated included setting up of a quarantine facility at Chennai; shortlisting of SPF *L. vannamei* broodstock suppliers; production of SPF seed in approved hatcheries; and supply of seeds to approved farms for farming. **Six** suppliers were shortlisted for





supply of SPF broodstock of *L. vannamei*. **Nine** hatcheries were given approval for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei*

 After the Notification of the Regulations of CAA, steps were taken and the staff sanctioned for CAA were recruited.



III. A. Activities and Achievements

(i) Meetings of the Authority and Committees constituted by the Authority

During the current year, i.e., from April- 2008 to March-2009, the CAA convened six regular meetings, in addition to five other meetings /



workshop. The details of the meetings and important decisions taken are summarized in **Table 1**. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as review of



the registration process of hatcheries, EU Mission's recommendation on antibiotic residues in shrimp, issue relating to High Tide Line (HTL) and Inter Tidal areas, norms for utilization of fees collected for registration of farms, monitoring of farm waste water discharge, fixing of standards for probiotics, allocation of funds by the Central Government directly to CAA account, and need for amendments to the Act, Rules and Guidelines.



Table 1
Meetings of the CAA (April-2008 to March-2009)

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Fifteenth Meeting	29-05-2008 Chennai	 Approved the registration of 329 shrimp farms. Sub-Committee was constituted to fix standards for Probiotics and Feeds
Sixteenth Meeting	23-07-2008 Chennai	 Reviewed and approved the registration of 74 shrimp hatcheries. Approved the registration of 668 shrimp farms. Sub-Committee was constituted to resolve the issue of HTL and Inter-tidal areas.
Seventeenth Meeting	19-09-2008 Chennai	 Approved the registration of 375 shrimp farms. Resolved to share the registration fee collected by DLCs for registration of aquaculture farms between coastal States and CAA in the ratio of 70:30. Resolved to open a bank account in the name of the Coastal Aquaculture Authority with a
Eighteenth Meeting	18-11-2008 Chennai	 nationalized bank. Approved the registration of 388 shrimp farms. Approved the Annual Report of CAA for the year 2007-2008.
Nineteenth Meeting	12-12-2008 New Delhi	 Approved the registration of 4,674 shrimp farms. Preliminary discussion on amendment to CAA Act and Rules was held. Decision taken that registration of shrimp farms, feed mills, input suppliers etc. to vest with CAA.
Twentieth Meeting	20-03-2009 Chennai	 Approved the registration of 1,115 shrimp farms. Approved the norms to be followed by CAA and DLC/SLCs for utilization of fee collected for registration of farms by DLCs. Reviewed the norms for registration of shrimp hatcheries by MPEDA. Resolved to revoke the time limit fixed by MPEDA for registration of hatcheries.



Other Meetings/Seminars conducted by the Coastal Aquaculture Authority (April, 2008 – March, 2009)

- A special meeting of the Authority inviting the Secretaries of Maritime States / representatives, Members of the Authority and NFDB was convened on 23rd June, 2008 to deliberate on the report submitted to the Ministry of Agriculture by the Sub-committee on Guidelines for farming of Litopenaeus vannamei and norms for setting up of Multiplication Centre. The views and suggestions emerged during the meeting were
- incorporated in the Guidelines and the revised draft Guidelines were submitted to the Ministry.
- A workshop was organised on 10.9.2008 for the Member Conveners of District Level Committees of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry to sensitize / clarify the procedures for screening of applications and on the various provisions of Coastal Aquaculture Authority Act and Rules.





Special Meeting of CAA with Secretaries (Fisheries) of Coastal States





Workshop conducted by CAA along with CIBA for DLCs



List of other meetings conducted by CAA are given below:

SI. No.	Name of Meeting	Date	Venue
1.	Special Meeting of Secretaries of Fisheries of Maritime States	23-06-2008	CIBA
2.	Sensitization Workshop for DLCs on Implementation of CAA Act, 2005	10-09-2008	CIBA
3.	Meeting to discuss the modalities for implementing the Guidelines for farming of SPF <i>L. vannamei</i>	24-10-2008	CAA
4.	Meeting of the Sub-committee to revise the Guidelines for regulation of coastal aquaculture	18-11-2008	CAA
5.	1 st Meeting of the Sub-committee on probiotics	16-12-2008	CAA
6.	Meeting of the Committee to shortlist the suppliers of SPF <i>L. vannamei</i> broodstock	31-12-2008	CAA
7.	2 nd Meeting of the Sub-committee to revise the Guidelines for regulation of coastal aquaculture	19-01-2009	CAA
8.	Meeting of the Committee with suppliers of SPF L. vannamei broodstock – presentation organised	18-02-2009	CAA



Meeting of Probiotics Sub-committee



(ii) Registration of Shrimp Farms

- One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the recommendations of the State and District Level Committees constituted for this purpose.
- The Authority considered the applications recommended by the District Level Committees and the State Level Committees for registration of shrimp farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 11,837 registration certificates to shrimp farmers till March 2009 since inception of the CAA.
- During the financial year April 2008 to March 2009, the Authority has considered and approved 7,543 applications and the registration certificates have been issued to all of them.
- A statement showing the total number of certificates of registration issued by the Authority in all the 12 maritime States and the charts showing the area-wise farms registered with the Authority are given in the following few pages. CAA has completed the data base on registration of shrimp farms which is available in the Authority's updated website. The website is also being updated periodically.



Details of Certificate of registration issued by CAA during April 2008 – March 2009


SI. No.	Name of States / Union Territories		Total Area (in hectare)					
		0.00 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	Above 40.00	Total	
1	West Bengal	445	93	0	0	0	538	
2	Orissa	190	68	8	0	0	266	
3	Andhra Pradesh	5,527	420	38	11	6	6,002	
4	Tamil Nadu	105	277	60	7	0	449	
5	Puducherry	1	1	0	0	0	02	
6	Kerala	79	18	0	0	0	97	
7	Karnataka	63	11	0	1	0	75	
8	Goa	7	1	0	0	0	08	
9	Maharashtra	12	2	3	0	0	17	
10	Gujarat	33	42	1	0	1	77	
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	12	
12	Andaman	0	0	0	0	0	00	
	Total	6,462	945	110	19	07	7,543	

• Opening of Bank Account: As per the decision taken in the seventeenth meeting of the CAA, a bank account was opened in February, 2009 in Indian Overseas Bank, Haddows Road Branch, Chennai in the name of the "Coastal Aquaculture Authority" to be operated by the Member Secretary, CAA. All the District Level Committees of the coastal States were requested to open a separate account in the name of "Coastal Aquaculture Authority District Level Committee" in their respective districts and they were directed to remit 30% of the registration fee collected by them to the CAA.




Breakup of shrimp farms registered with CAA

All the Coastal States December 2005 – March 2009



Area (in ha.)	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	Above 40.00	Total
No. of Farms	9888	1746	166	30	07	11837

All the Coastal States during April 2008 – March 2009




Area	0 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	Above	Total
(in ha.)	2.00	5.00	10.00	40.00	40.00	
No. of Farms	6462	945	110	19	7	7543



West Bengal

Orissa




Area	0 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	Above	Total
(in ha.)	2.00	5.00	10.00	40.00	40.00	
No. of Farms	445	93	0	0	0	538

190 68 8 0 0 0 ■ 0 - 2.00 ■ 2.01 - 5.00 ■ 5.01 - 10.00 ■10.01 - 40.00 ■ above 40.00

Area 0 -10.01 -**Total** 2.01 -5.01 -**Above** 40.00 (in ha.) 2.00 5.00 10.00 40.00 No. of Farms 0 0 190 68 8 266




Andhra Pradesh



Area (in ha.)	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	Above 40.00	Total
No. of Farms	5527	420	38	11	6	6002


Tamil Nadu




Area (in ha.)	0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	Above 40.00	Total
No. of Farms	105	277	60	7	0	449



Puducherry



Area	0 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	Above	Total
(in ha.)	2.00	5.00	10.00	40.00	40.00	
No. of Farms	1	1	0	0	0	02




Kerala

Area	0 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	Above	Total
(in ha.)	2.00	5.00	10.00	40.00	40.00	
No. of Farms	79	18	0	0	0	97




Karnataka

Goa



Area	0 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	Above	Total
(in ha.)	2.00	5.00	10.00	40.00	40.00	
No. of Farms	63	11	0	1	0	75




Area 0 -2.01 -5.01 -10.01 -**Above** Total 10.00 40.00 (in ha.) 2.00 5.00 40.00 No. of Farms 7 1 0 0 0 80




Maharashtra

Gujarat




Area	0 -	2.01 -	5.01 -	10.01 -	Above	Total
(in ha.)	2.00	5.00	10.00	40.00	40.00	
No. of Farms	12	2	3	0	0	17



Area 0 -5.01 -10.01 -Total 2.01 -**Above** (in ha.) 2.00 5.00 10.00 40.00 40.00 No. of Farms 33 42 0 1 1 77

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY



12

■ 0 - 2.00 ■ 2.01 - 5.00 ■ 5.01 - 10.00 □ 10.01 - 40.00 ■ above 40.00

Area Total 0 -2.01 -5.01 -10.01 -**Above** (in ha.) 2.00 5.00 10.00 40.00 40.00 No. of Farms 0 12 0 0 0 12



(iii) Guidelines for SPF L. vannamei

- CAA was actively involved in the formulation of guidelines for SPF L. vannamei (quality of broodstock. import, production and farming) and operationalizing the aquatic quarantine facility set up at the Rajiv Gandhi Centre Aquaculture (RGCA) at Neelankarai. Chennai with financial assistance from NFDB.
- CAA carried out the exercise of shortlisting the suppliers of SPF L. vannamei broodstock based on the genetic base and disease status by holding intensive discussions with the prospective suppliers in consultation with other related organizations like CIBA, NFDB and MPEDA. Six suppliers were shortlisted for supply of SPF broodstock of L. vannamei.
- Similar exercise was carried out in selecting suitable Indian hatcheries for import of broodstock of L. vannamei as well as for production and sale of Post Larvae.
- CAA formulated the entire procedures for hatcheries and

farms; the formats of application were also designed and put up in the website. After thorough scrutiny of the applications, inspection of hatcheries were made the Inspection bv Committee constituted by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries. Selection of farms shall be made after inspection of the farm sites. facilities etc. before issue of approvals.

(iv) Registration of Hatcheries

Applications for registration of shrimp hatcheries are received by Marine Products Export Development Authority (MPEDA) and after scrutiny and inspection of the hatcheries by the Hatcheries Inspection Committee constituted by MPEDA, provisional registration is made by MPEDA and the list of hatcheries is forwarded to the Coastal Aquaculture Authority for review, which are placed before the Authority for final approval. Wide publicity was made to facilitate hatchery owners to register their shrimp hatcheries. Till date, 74 hatcheries provisionally registered by the MPEDA, have been approved by the CAA. MPEDA would henceforth send all the applications for registration of hatcheries in original





Inspection of a hatchery by a team of officials deputed by CAA

to CAA for scrutiny and review. The time limit for registration of new and revived hatcheries, fixed by MPEDA was set aside in order to facilitate registration of all hatcheries.

- (v) Import of broodstock, seed production and culture of SPF *Litopenaeus vannamei*
 - According to the guidelines notified by the Ministry of

- Agriculture, Coastal Aquaculture Authority was entrusted with the task of registration of hatcheries for import of **SPF** *L. vannamei* broodstock and production of Post Larvae for sale.
- Accordingly, CAA, in consultation with NFDB, CIBA & MPEDA identified six broodstock suppliers of SPF L. vannamei through global advertisement,





Shrimp post larvae



- from whom the hatchery owners are allowed to import broodstock.
- An advertisement was also released in the leading newspapers inviting applications from hatchery owners for rearing of SPF L. vannamei.
- A Technical Evaluation Committee was set up by Department of Animal Husbandry, Dairving & Fisheries to scrutinize the applications received from them and to short list the hatcheries. In response to our advertisement, 50 applications were received and after scrutinizing, the Inspection Committee constituted Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, inspected 45 hatcheries. On the basis of recommendations of the Inspection Committee, hatcheries were given approval for import of broodstock and seed production of SPF L. vannamei in the first phase (up to March 2009).

(vi) Sub-Committees set up by CAA

The following Sub-committees were set up by CAA to implement the important issues arising out of the decisions / discussions held in the Authority meetings:



Inspection team discussing with farmers

- Revision of Guidelines of the **CAA -** Sub-Committee set up by the CAA in October 2007 to review the Guidelines for suitable revisions and modifications has been reconstituted with additional terms of reference to suggest the manner of notifying Guidelines already formulated / to be framed for coastal aquaculture, i.e., Guidelines for seabass and mudcrab culture, Guidelines for setting up Common Effluent Treatment System, Guidelines for regulation of service providers and input manufacturers.
- Fixation of standards for probiotics - A Sub-committee was set up to fix standards for probiotics in aquaculture with members drawn from different fields.



To Resolve issues relating to HTL and inter-tidal areas - A Sub-committee has been set up headed by Commissioner of Fisheries. Government of Tamil Nadu as Chairman and Commissioners of Fisheries. Andhra Pradesh, Maharashtra and Guiarat as Members to deliberate on the issue relating to HTL and inter-tidal areas with respect to coastal aquaculture farms.

(vii) Recruitment of staff sanctioned for the Authority

- The Regulations framed by the Authority, prescribing the method of recruitment, qualifications etc. for the employees of the Authority, appointment of advisors / consultants etc. were notified by the Ministry in March, 2008. Subsequently, the Authority initiated the recruitment process for filling up all the vacant posts and as of now, nine regular staff have been appointed. The selection process for the other posts are in progress.
- Shri G. D. Chandrapal, former Director of CAA and Deputy Commissioner, D/o Animal

Husbandry, Dairying & Fisheries was appointed as Advisor for a period of six months w.e.f. 15th September, 2008.

(viii) Outreach Activities where CAA officers were involved

- Member Secretary provided comments and suggested improvements on the Model Bill, 2005 for Inland Fisheries and Aquaculture Sector.
- Member Secretary on instruction from Ministry also visited the Department of Zoology, C. Abdul Hakeem College, Melvisharam (Vellore) to verify and submit a report on the facilities available in the laboratory for its recognition as OIE Reference Laboratory for White Tail Disease
- A team of four members along with Member Secretary, CAA inspected shrimp farms and hatcheries in the Nellore District of Andhra Pradesh in connection with a complaint received from one of the Members of the Authority. A report on the inspection was sent to the member of the Authority as well as to the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries.



- Member Secretary participated in the 8th Indian Fisheries Forum organised by ICAR and Asian Fisheries Society at Kolkata during 22-29 November 2008.
- CAA officers participated in the Moana Road show when preliminary results of the experimental culture operations from the jump-start programmes were assessed.
- CAA also assisted Export Inspection Council (EIC) in taking follow up action on the recommendations of the Food and Veterinary Office (FVO) Mission from European Union, especially on matters of registration of coastal farms, sampling procedures to test antibiotic residues etc.

(ix) Participation of CAA officers in meetings organised by other organizations

 The Member Secretary, CAA attended the meetings of the National Committee on Exotics held at New Delhi on 18.5.2008 and the Executive Committee meeting of the National Fisheries Development Board held at Hyderabad on 29.12.2008.

- Member Secretary and Assistant Director (Technical), CAA participated in "IndAqua 2009" held at Bhubaneswar on 22-24 January, 2009 organised by MPEDA; and made a presentation on the topic "Regulatory framework for coastal aquaculture in India".
- CAA officers participated in "Aqua India 2008 on New Technologies and Initiatives" held at Chennai on 16-17 February, 2009 organised by Society of Aquaculture Professionals, Chennai and highlighted the regulatory functions of the CAA. Member Secretary, CAA was the Chairman in one of the technical session.
- Member Secretary also participated in the National Expert Consultancy Conference on Fisheries Leasing Policy organised by the Department of Fisheries on 4th September 2008 and presented a Lead paper on "Regulatory Framework for Coastal and Offshore Aquaculture in India" and chaired the subgroup on Mariculture Policy.
- Member Secretary participated in the 6th Meeting of the National



Committee on FAO's Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) held at New Delhi on 12.1.2009. Subsequently, an action plan on responsible aquaculture was prepared and sent to the Ministry.

(x) Visit of Parliamentary Committee on Subordinate Legislation

Parliamentary Committee on Subordinate Legislation visited CAA on 2nd July, 2008. The Chairman, Member Secretary and representative of the Ministry of Agriculture met the Committee and appraised the Committee about the Rules, Regulations and the activities of the Authority.

(xi) Visit of FVO Mission

CAA has also participated in the preparatory meetings organised by Ministry of Commerce at Delhi and Kochi in connection with the visit of Food and Veterinary Office (FVO) Mission and the required information was provided for this purpose. CAA also participated in the opening and closing meetings organised by EIC with FVO Mission on 17th and 28th November, 2008 respectively.

(xii) Website Updation

CAA has been regularly updating its website with all the notifications, circulars, advertisements and other important matters of public interest. The website has complete data base on the registered shrimp farms and hatcheries.





B. Activities likely to be taken up during 2009 - 2010

- The CAA will continue to perform its main task of registering coastal aquaculture farms and in the process will ensure that no coastal aquaculture farm, which has the potential to cause any detriment to the coastal environment or is against the concepts of responsible coastal aquaculture is allowed to be set up or exist in the coastal areas of the country. Production of SPF seed of *L. vannamei* and its culture in accordance with the Guidelines notified by the Government would be taken due care.
- The following activities are likely to be taken up by the CAA during the financial year 2009 - 2010:
 - (i) Fixing of standards for coastal aquaculture inputs viz., seed, feed, growth supplements and chemicals / medicines for the maintenance of the water bodies and the organisms reared therein and other aquatic life;
 - (ii) Collection and dissemination of data and other scientific and socio-economic information in respect of matters related to coastal aquaculture;

- (iii) Preparation of technical manuals, codes and audio visual material to propagate sustainable development of coastal aquaculture and activities relating there to by engaging Consultants;
- (iv) Constitution of various technical committees, sub-committees, working groups, sub-groups comprising the Members and Officers of the Authority, Scientists and Officers of the National Research Institutes / State Governments / Representatives of the Civil Society for preparation of technical guidelines, code of conduct, etc;
- (v) Order closure of coastal aquaculture farm in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods or for any other reasons considered necessary in the interest of coastal environment;
- (vi) Make recommendations to the Government for suitably amending the guidelines from



time to time taking into account the changes in technology, farming practices, etc, and incorporating such required modifications in the guidelines to ensure environmental protection and the livelihoods of the coastal communities

- (vii) Special monitoring programmes for the operation of hatcheries involved in seed production of *L. vannamei* and farms culturing *L. vannamei*.
- CAA would call for fresh expression of interest from the broodstock suppliers of SPF L. vannamei for granting permission to selected hatcheries to import the broodstock for

- the next season; and also take up registration of hatcheries and farms, culturing SPF *L. vannamei*.
- Minimum laboratory facilities for testing and analysis of water quality etc. are to be created.
- CAA would explore the possibility of getting allotment of land by the Government of Tamil Nadu to construct its own building.
- The functioning of Multiplication Centre being set up with Moana Technology for production of disease free seed of *P. monodon* the Jump Start Programme for free trials etc. would be closely monitored. CAA would also be involved in fixing the sale price of seed produced at the Multiplication Centre.



IV. Finance

Summary of actual financial results and activities during the previous financial year

The budget for the Coastal Aquaculture Authority is provided under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture and the Authority is not operating or maintaining any separate account for this purpose till now. The accounts are being maintained by the Pay and Accounts Office, Department of Agriculture & Cooperation, Chennai and are incorporated in the annual accounts of the Ministry of Agriculture. However,

CAA has approached the Ministry to deposit the fund for the Authority directly to the bank account of CAA as indicated in the CAA Act, 2005. The matter is being processed by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries.

During the financial year 2008-09 (from April 2008 to March 2009), the CAA incurred an expenditure of Rs. 91,68,358/- (Rupees ninety one lakh sixty eight thousand three hundred and fifty eight only) and the break-up under various sub-heads of expenditure is given below:

SI. No.	Name of the Scheme	Sub-head	Expenditure for the year 2008-09
Major Head 2405		(in Rupees)	
1.0		Salaries	40,36,751
2.0		Medical Expenses	3,833
3.0	Coastal	Domestic Travel Expenses	11,99,433
4.0	Aquaculture	Office Expenses	34,10,324
5.0	•	Publications	1,46,900
6.0	Authority	Advertising and Publicity	3,70,542
7.0		Foreign Travel Expenses	
		Total	91,68,358

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

The Budget expenditure for the financial year 2009-10 at Rs.2,43,00,000/- (Rupees two crore forty three lakhs only) has been

sanctioned by the Ministry of Agriculture and the break up details under various sub-heads are given below:

SI. No.	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2009-10
Major Head 2405 (in Rupees)			(in Rupees)
1.		Salaries	1,51,00,000
2.		Medical Expenses	2,00,000
3.	Coastal	Domestic Travel Expenses	18,00,000
4.	Aquaculture	Office Expenses	54,00,000
5.		Publications	5,00,000
6.	Authority	Advertising and Publicity	8,00,000
7.		Foreign Travel Expenses	5,00,000
Total 2,43,00			2,43,00,000



V. Staff and existing organizational structure of the Authority

The Ministry of Agriculture in consultation with the Ministry of Finance, Government of India had created 21 posts for the former Aquaculture Authority. The same have been allowed to continue with the Coastal Aquaculture Authority which was established under the Notification dated 22.12.2005, until further orders under the same terms and conditions. The Regulations of the Authority, which provides for the method of recruitment, qualifications etc. for the employees of the Authority, appointment of advisors / consultants etc. were finalised and

notified only in March, 2008 and made available to this Authority in May, 2008. Subsequently, the Authority initiated the recruitment procedure for filling up all the vacant posts and as on now, nine regular staff have been appointed and one technical staff, two clerical staff and two supporting staff have been appointed on contract basis through a manpower agency. The selection for the other posts are expected to be completed by 2009. The details of the sanctioned posts and the staff in position with the Authority as on 31 March 2009 are given below:

Posts sanctioned for the Coastal Aquaculture Authority

SI. No.	Name of the Post	Scale of Pay (Revised)	No. of Posts
1.0	Director (Technical)	Rs. 37400-67000 + 8700 (Grade Pay)	1
2.0	Assistant Director (Technical)	Rs.15600-39100 + 5400 (Grade Pay)	1
3.0	Senior Administrative Officer	Rs.15600-39100 + 5400 (Grade Pay)	1
4.0	Superintendent	Rs.9300-34800 + 4200 (Grade Pay)	1
5.0	Private Secretary	Rs.9300-34800 + 4200 (Grade Pay)	2
6.0	Senior Technical Assistant	Rs.9300-34800 + 4200 (Grade Pay)	2
7.0	Accountant	Rs.9300-34800 + 4200 (Grade Pay)	1
8.0	Stenographer Grade 'C'	Rs.9300-34800 + 4200 (Grade Pay)	2
9.0	Senior Clerk	Rs.9300-34800 + 2400 (Grade Pay)	2
10.0	Stenographer Grade 'D'	Rs.5200-20200 + 2400 (Grade Pay)	1
11.0	Junior Clerk	Rs.5200-20200 + 1900 (Grade Pay)	2
12.0	Staff Car Driver	Rs.5200-20200 + 1900 (Grade Pay)	1
13.0	Peon	Rs.4440 - 7440 + 1300 (Grade Pay)	3
14.0	Watchman	Rs.4440 - 7440 + 1300 (Grade Pay)	1
	Total number of posts		21

Details of the staff with the Coastal Aquaculture Authority as on 31 March 2009

SI. No.	Name	Designation
1.0	Dr Baskaran Manimaran (on deputation w.e.f. December 2008)	Director (Technical)
2.0	Dr Manas Kumar Sinha (on deputation w.e.f. December 2008)	Assistant Director (Technical)
3.0	Shri Anil Kumar (on deputation w.e.f. December 2008)	Senior Administrative Officer
4.0	Shri T Sivakumar	Superintendent
5.0	Smt G Durga	Private Secretary
6.0	Shri P K Ganesan (on deputation w.e.f. December 2008)	Private Secretary
7.0	Smt Vijaya Chandrasekhar (on deputation w.e.f. November 2008)	Accountant
8.0	Shri N Sreenivasan (on deputation w.e.f. December 2008)	Stenographer Grade 'C'
9.0	Shri T Srinivasa Rao (on deputation w.e.f. December 2008)	Stenographer Grade 'C'

Right to Information Act

Director (Technical), Coastal Aquaculture Authority was designated as Central Public Information Officer of the Authority. One application received seeking information under RTI Act was replied.



VI. Experts Associated with preparation of Guidelines

• • •		
SI. No.	Activity	Names and Designation of Experts
1.	Fixation of standards for probiotics	Dr R Paul Raj Member Secretary Coastal Aquaculture Authority, Chennai-600 006
		Dr I S Bright Singh Director & Dean School of Environmental Sciences Cochin University of Science and Technology Thrikkakkara, Cochin-682 022
		Dr S Felix Professor, Fisheries Unit Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University Madhavaram Milk Colony, Chennai
		Dr S V Alavandi Principal Scientist Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) 75, Santhome High Road, Chennai-600 029
		Shri D Ramraj President Society of Aquaculture Professionals 2/542, 1 st floor, 1 st lane, Sundeep Road Neelangarai, Chennai-600 041
		Dr S Thiyagarajan Poseidon Biotech 1 st and 2 nd floor, Mogappair West Main Road Chennai-600 037
2.	Sub-committee to resolve issues relating to HTL	Shri Shambu Kallolikar I A S Commissioner of Fisheries, Govt. of Tamil Nadu
	and inter-tidal areas	Shri A M Solanki I A S Commissioner of Fisheries, Govt. of Gujarat
		Shri Arvind Kumar I A S Commissioner of Fisheries, Govt. of Andhra Pradesh
		Shri H R Pawar I A S Commissioner of Fisheries, Govt. of Maharashtra

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

SI. No.	Activity	Names and Designation of Experts
3.	Revisised constitution of the Sub-committee to review the Guidelines issued under the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005 (Order No. 56-1/2007 Tech dated 20.10.2008)	Dr R Paul Raj Member Secretary Coastal Aquaculture Authority, Chennai-600 006 Dr P Ravichandran Principal Scientist & HOD Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) 75, Santhome High Road, Chennai-600 029
		Dr A R Thirunavukkarasu Principal Scientist & HOD Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) 75, Santhome High Road, Chennai-600 029
		Dr S M Pillai Principal Scientist Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA), Chennai-600 028
		Shri B Vishnu Bhat Director The Marine Products Exports Development Authority (MPEDA), Kochi-682 036
		Shri Ajit Sinha Patil Member, Coastal Aquaculture Authority Pancham Aquaculture Farms 103 B, Mittal Towers, Nariman Point Mumbai-400 021
		Shri K Om Prakash Joint Commissioner Representative of Deptt. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Ministry of Agriculture, New Delhi
		Shri G D Chandrapal Advisor, Coastal Aquaculture Authority, Chennai

तटीय जलकृषि प्राधिकरण



तटीय जलकृषि प्राधिकरण

(भारत सरकार)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

(Government of India)

दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe २६, हडोस रोड़, चेन्नै – ६०० ००६, भारत 26, Haddows Road, Chennai - 600 006, India

दूरभाषा / Tel.: +91 44 2823 4683, फैक्स / Fax : +91 44 2821 6552

ई-मैल / E-mail : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट / website: www.caa.gov.in